जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ उ0 प्र0 सहारनपुर ।

पत्रांक 1847 /सह0 / जनसूचना / 2011–12 / दिनांक 8-8-11

1. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम पता व फोन नं0–जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां,उ0प्र0, सहारनपुर पता–विकास भवन दिल्ली रोड, सहारनपनुर, फोन नं0–0132–2765116
2. विभागाध्यक्ष का पदनाम पता व फोन नं0–निबन्धक, सहकारी समितियां,उ0प्र0, लखनऊ, पता–21,विधान सभा मार्ग लखनऊ,फोन नं0–0522–2281872, 2622267
3. कार्यालय में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के पदनाम का संरचनात्मक ढांचा निम्नवत है–

<u>जिला सहायक निबन्धक</u>

सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 अन्वेषक कम संगणक

सहकारी कृषि पर्यवेक्षक सहकारी पर्यवेक्षक (पी0सी0यू0) लेखा वर्गीय कर्मचारी

लिपिक वर्ग कर्मचारी चालक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी

ग्राम सेवक (कृषि) सहायक सहकारी निरीक्षक

4. कार्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण–सहकारी समिति के सदस्यों/कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण करना दीर्घकालीन ऋण वितरण करना, उर्वरक एवं प्रमाणित बीजों का वितरण करना, मूल्य सर्मथन योजनान्तर्गत कृषि उत्पादों की खरीद का कार्य करना, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, संगत नियमावली 1968 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सहकारी समितियों का निबन्धन कराना, सहकारी समितियों का पर्यवेक्षण, अंकेक्षण, निरीक्षण एवं जांच करना, सहकारी समितियों/सदस्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना तथा सहकारी समितियों का समापन, विलयन एवं विभाजन कराना ।
5. विभाग द्वारा संचालित सभी स्कीमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

(अ) <u>अधिकोषण</u>–इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को फसली ऋण का वितरण किया जाता है।

(ब) <u>कृषि निवेश</u>– इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के सदस्यों/कृषकों को सभी प्रकार के कृषि निवेशों एवं प्रमाणित बीजों का वितरण किया जाता है।

(स) विधि निर्वाचन– इस योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 संगत नियमावली 1968 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विधिक मामलों का निस्तारण किया जाता है तथा जनपद में कार्यरत सभी प्रकार की सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी का निवार्चन संपन्न कराया जाता है।

(द) ऑडिट– इस योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार की सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय वर्ष में संपन्न किये गये सभी कार्यकलापों/व्यवसाय का ऑडिट लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।

(य) उपभोक्ता– इस योजना के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत उपभोक्ता समितियों के माध्यम से जनसामान्य को सस्ती दरों पर उपभोक्ता समान, खाद्यान्न एवं मिट्टी तेल का वितरण किया जाता है।

(र) क्रय–विक्रय–इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से सरकारी मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों से कृषि उत्पादों की खरीद का कार्य किया जाता है।

6. इस कार्यालय के अधीनस्थ कोई कार्यालय नहीं है।

7. विभाग की वेवसाइट का पता–http:// Cooperative.up.nic.in

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां,उ0प्र0,
सहारनपुर